न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 2/2016/वाद पत्र	तारीख दायर 08.01.2016	तारीख फैसला 22.07.2019

उनवान

1. चेनाराम पिता सोनाथ रेबारी नि0 ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
2. प्रेम पत्नि चेनाराम रेबारी नि0 ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत् किये जाने नक्शा तरमीम

उपस्थिति – 1. श्री कन्हैयालाल धाकड़ :– अभिभाषक – वादीगण
2 श्री पेरोकार सरकार

निर्णय

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीए विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवन्टन सलाहकार समिति द्वारा उनको ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा में आराजी नम्बर 154 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि आवन्टित की गई थी। जिसका सुपुर्दगीनामा 09.01.2005 को दिया गया था। नजराना राशि रसीद क्रमांक 2 दिनांक 21.04.2005 को लेते हुये खातेदारी प्रदान की गई थी, किन्तु राजस्व अभियान के समय दिनांक 15.12.2004 मिशल नम्बर 401/2004 के आदेश संख्या से 154 में आराजी संख्या 693/692 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण खोल दिया व नक्शे में जहां वादीगण के कब्जे काश्त में भूमि है। वहां नक्शा तरमीम नही कर अन्यत्र नक्शा तरमीम कर दिया गया। इसीलिए वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। वादीगण की जो भूमि अलोट क की गई थी, वो भूमि खसरा न0 154 रकबा 0.25 हैक्टेयर वादीगण के सोनाथ व उसके भाईयों के कब्जे काश्त की आराजी न0 154/665 रकबा 0.61 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा व आराजी न0 194 व 195 के उतरी दिशा के पास ही थी। एवं वर्तमान के भी उसी के पास स्थित है। वादीगण आज तक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त अलोटशुदा आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया लेकिन नक्शे में उक्त आराजी को अन्यत्र दर्ज कर दिया गया जबकि अलोटशुदा आराजी नम्बर 154 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 154/665 रकबा 0.61 हैक्टेयर के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 194 व 195 के उत्तरी दिशा में स्थित है। इसीलिए नक्शे में उक्त अलोटशुदा आराजी को वर्तमान स्थान से हटाया जाकर आराजी वर्तमान को वर्तमान स्थान से हटाया जाकर आराजी न0 154/665 के पूर्वी व आराजी न0 194 व 195 के उत्तरी दिशा जहां वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है वहां नक्शा फीट किया जाना आवश्यक है। इसलिए वादीगण की ओर से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। अतः वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध नक्शा तरमीम की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आज मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 19

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

अलोटशुदा आराजी संख्या 154 में आराजी संख्या 693/692 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि जो कि आराजी नम्बर 154/665 रकबा 0.61 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा व आराजी संख्या 194 व 195 के उत्तरी दिशा में अलोट हुई जिसकों नक्शे में गलत फिट किया गया है। उसे दुरूस्त करते हुये आराजी संख्या 154/665 के पूर्वी दिशा व आराजी संख्या 194 व 195 के उत्तरी दिशा में नक्शा तरमीम किये जाने की डिक्री प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.03.2016 को प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 08.11.2016 को अभिभाषक वादीगण द्वारा कमीश्नर नियुक्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 17.01.2017 को कमिश्नर नियुक्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दिनांक 24.01.2017 को अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कमिश्नर नियुक्ति स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को 300 रूपये कमिशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उनके पत्रांक 705 दिनांक 25.07.2017 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार चैनाराम पिता सोनाथ रेबारी, प्रेम पत्नि चैनाराम रेबारी निवासी ढाणी भवसागर को ग्राम ढाणी भवसागर की आराजी नम्बर 154 में से 0.25 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभियान के समय दिनांक 15.12.2004 को आवन्टन हुई। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त आवन्टन शुदा भूमि सिपुर्द कर आवन्टी को आराजी नम्बर 693/692 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई, जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है, किन्तु वर्तमान में आवन्टी का कब्जा नक्शे में तरमीम अनुसार नही होकर अन्य जगह पर है। आवन्टी उक्त आवन्टन शुदा भूमि आराज़ी नम्बर 693/692 की नक्शे में वर्तमान तरमीम को निरस्त करवाकर आराजी नम्बर 154 जिसके वर्तमान नवीन आराजी नम्बर 964/692 है, में ही आराजी नम्बर 154/665 के पूर्वी दिशा व आराजी नम्बर 194 व 195 के उत्तरी दिशा में नक्शे में तरमीम कराना चाहता है। जहां आवन्टी का कब्जा है। दिनांक 09.01.2018 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को आवन्टन स्थान पर ही नक्शे में तरमीम किया जाकर सिपुर्दगी की गई है। आवन्टन स्थल में कोई भिन्नता नही है। वादी का कब्जा आवन्टन स्थल से भिन्न होना उसके द्वारा स्वेच्छा से किया गया कब्जा है। राज्य पक्ष की ओर से आवन्टन आदेश की पालना करने में कोई त्रुटि नही की गई है। अतः वादीगण का वाद पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में दिनांक 06.02.2018 को निम्न तनकियात कायम की गई।

1 आया वादीगण को अलोट आराजी संख्या 154 में से 693/692 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि जो कि आराजी नम्बर 154/665 रकबा 0.61 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा व आराजी संख्या 194 व 195 के उत्तरी दिशा में अलोट हुई, जिसको नक्शे में गलत जगह फिट किया गया है। उसे दुरूस्त करते हुये आराजी संख्या 154/665 के पूर्वी दिशा व आराजी संख्या 194 व 195 के उत्तरी दिशा में नक्शा तरमीम किया जावें ? — जिम्मे वादीगण

2 आया आवन्टित स्थल से भिन्न जगह पर आवन्टन नही किया गया है। तरमीम व आवन्टन स्थल में कोई भिन्नता नही है। वादी का कब्जा आवन्टन स्थल से भिन्न होना उसके द्वारा स्वेच्छा से किया गया कब्जा है। वादीगण का वाद चलने योग्य न होकर खारिज योग्य है ? — जिम्मे प्रतिवादी

3 दादरसी ।

प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया जाकर साक्ष्य के रूप में शपथ–पत्र प्रेम पत्नि चेनाराम रेबारी, चेनाराम पिता सोनाथ रेबारी, श्रीराम पिता हरलाल रेबारी निवासियान

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आज मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 19

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा के प्रस्तुत किये गये जो क्रमशः पी0डब्ल्यू0 1, पी0डब्ल्यू0 2, पी0डब्ल्यू0 3 है। दिनांक 16.07.2019 को अभिभाषक वादीगण द्वारा जिरह नही करा सीधी बहस करनी चाही जिससे बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अभिभाषक वादीगण ने बताया कि कब्जे की जगह आवन्टन नही हुआ है। कब्जे की जगह तरमीम की जावें। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में बताया कि सरकार ने आवन्टी को उसी जगह कब्जा दिया गया, जहां आवन्टन हुआ है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जावें।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है

1. तनकी नम्बर 1– इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण का था। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से स्पष्ट है कि वादी गण को जिस स्थान पर भूमि आवन्टन की गई उसी स्थान पर सिपुर्दगी की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही की गई है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।
2. तनकी नम्बर 2 – इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी पेरोकार का था, जिनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, मौका कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी का कब्जा आवन्टन स्थल से भिन्न होना उसके द्वारा स्वेच्छा से किया गया कब्जा हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित नही होने से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीवार निर्णय वादीगण के पक्ष में नही होने से वाद वादीगण खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

–::: आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादी के सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे ईजलास सुनाय गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

हमारे दस्तखत व मोहर से आज तारीख ....22.... माह ....7.... सन् ....19....

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद मालव RAS.

1 श्री चेनाराम S/o सोनाराम बनाम श्री राजस्थान सरकार जरिये
2- प्रेम W/o चेनाराम रेबारी तहसीलदार शाहपुरा
नि० धामनिया सागर तह०
शाहपुरा
– प्रतिवादी
– वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 RTA

मुकदमा नम्बर 2 सन् 16 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :– वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी के सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

आज मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 19

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)